रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272225
CG-DL-E-04052026-272225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948
No. 304] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2026

फा. सं. प्रशा-11012/59/2025(ई-293027).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 (जिन्हें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा), के विनियम 12 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ड़) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड़) खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से या प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि विस्तारित तिथि सहित, यदि कोई हो, आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि होगी:

बशर्ते सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि, नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के साथ विज्ञापन में निर्दिष्ट की जाएगी, जो ऐसे विज्ञापन के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से छह महीने से अधिक नहीं होगी।"

3. उक्त विनियमों में, विनियम 13 में, खंड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(12) पदोन्नति के प्रयोजन हेतु रिक्ति वर्ष कैलेंडर वर्ष होगा और पदोन्नति की पात्रता निर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथियां रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई होंगी, जैसा भी मामला हो।"

4. उक्त विनियमों में, अनुसूची में मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के पदों के लिए, जहां भी कॉलम (11) में "प्रतिष्ठित संगठन में" शब्द प्रविष्ट हैं, वहाँ उनके स्थान पर "अथवा माल और सेवा कर से संबंधित मामले" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विशाल चौहान, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन-III/4/असा./73/2026-27]

टिप्पणी.- मूल विनियमन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 11011/19/2014-प्रशा. दिनांक 30 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2026

F. No. ADMIN-11012/59/2025 (E-293027).— In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 12, in sub-regulation (1), for clause(e), the following clause, shall be substituted, namely:-

"(e) the crucial date for determination of eligibility for posts to be filled through Search-cum-Selection Committee or on deputation basis shall be the last date including the extended date, if any, specified for the receipt of applications:

Provided that for the posts to be filled through direct recruitment, the crucial date for determination of essential educational qualifications shall be as specified in the advertisement, with the approval of the Appointing Authority, which shall, not be later than six months from the last date of receipt of applications in respect of such advertisement.”

3. In the said regulations, in regulation 13, for clause (12), the following clause, shall be substituted, namely:-

“(12) The vacancy year for the purpose of promotion shall be the calendar year and the crucial dates for determining the eligibility for promotion shall be the 1st January and 1st July of the vacancy year, as the case may be.”

4. In the said regulations, in the schedule for the posts of Chief General Manager (Finance and Accounts), General Manager (Finance and Accounts), Deputy General Manager (Finance and Accounts), Manager (Finance and Accounts) and Assistant Manager (Finance & Accounts), for the words “in an organisation of repute”, wherever they occur in column (11), the words “or Goods and Services Tax related matters” shall be substituted.

VISHAL CHAUHAN, Member (Administration)

[ADVT.-III/4/Exty./73/2026-27]

Note.- The Principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No.11011/19/2014-Admn. dated the 30th December, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.04 18:45:26 +05'30'